11.10.19 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता
उप.। पत्रावली का अवलोकन किया।
पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है
कि प्रकरण ~~से~~ माननीय न्यायालय सहायक
कलक्टर (मु.) सीकर के क्षेत्राधिकार मे
है अतः उपरोक्त पत्रावली उक्त न्यायालय
सहायक कलक्टर (मु.) सीकर को भिजवाई
जाती है। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता
है कि वह आगामी तारीख पेशी दिनांक 30-10-19
के वहां उपस्थित हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी एवं मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर**

क्रमांक/रीडर/2019/504 दिनांक 11.10.2019

सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय) सीकर

विषय— न्यायालय के प्रकरण सं. 05/2016 उनवान प्रभूराम बनाम रामनिवास आदि तथा संबंधित समशीर्षक स्थगन आवेदन प्रकरण सं. 06/2016 प्रा.पत्र को आपके श्रवणाधिकार में होने के कारण भिजवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत न्यायालय हाजा में उक्त विचाराधीन प्रकरणों का गहनता से अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में दिनांक 03.07.2008 को एक वाद उनवान अर्जुनराम बनाम प्रभूराम आदि माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय, सीकर के यहां निर्णय व डिक्री किया गया था। जिसको अपास्त कर पुनः सुनवाई कर निर्णय करने हेतु प्रभूराम की ओर से आपके न्यायालय में आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी दिनांक 29.04.2016 को पेश करने पर उक्त दोनों पत्रावलियां आपके वहां विचाराधीन थी। जिनको इस न्यायालय में आप द्वारा दिनांक 07.08.2019 को सहवन से भिजवाया गया। चूंकि उक्त आवेदन अ. आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत पेश किये गये है, उसमें वर्णित दावा सं. 445/2003 उनवान अर्जुनराम बनाम प्रभुराम आदि का अंतिम निर्णय आपके न्यायालय में दिनांक 03.07.2008 को हुआ था। जिसके पुनः सुनवाई का अधिकार आपके न्यायालय को ही प्राप्त है। इस संबंध में सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि *"किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी।"* अतः उक्त दोनों पत्रावलियां पत्र के संलग्न आपके न्यायालय में स्थानान्तरित की जा रही है। कृपया प्राप्ति रसीद से अवगत करवाने का श्रम करें।

संलग्न— उपरोक्तानुसार 2 मूल पत्रावली

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर

क्रमांक / रीडर / 2019 / 504 दिनांक 11.10.2019

सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय) सीकर

विषय– न्यायालय के प्रकरण सं. 05/2016 उनवान प्रभूराम बनाम रामनिवास आदि तथा संबंधित समशीर्षक स्थगन आवेदन प्रकरण सं. 06/2016 प्रा.पत्र को आपके श्रवणाधिकार में होने के कारण भिजवाने बावत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत न्यायालय हाजा में उक्त विचाराधीन प्रकरणों का गहनता से अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में दिनांक 03.07.2008 को एक वाद उनवान अर्जुनराम बनाम प्रभूराम आदि माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय, सीकर के यहां निर्णय व डिक्री किया गया था। जिसको अपास्त कर पुनः सुनवाई कर निर्णय करने हेतु प्रभूराम की ओर से आपके न्यायालय में आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी दिनांक 29.04.2016 को पेश करने पर उक्त दोनों पत्रावलियां आपके वहां विचाराधीन थी। जिनको इस न्यायालय में आप द्वारा दिनांक 07.08.2019 को सहवन से भिजवाया गया। चूंकि उक्त आवेदन अ. आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत पेश किये गये है, उनमें वर्णित दावा सं. 445/2003 उनवान अर्जुनराम बनाम प्रभुराम आदि का अंतिम निर्णय आपके न्यायालय में दिनांक 03.07.2008 को हुआ था। जिसके पुनः सुनवाई का अधिकार आपके न्यायालय को ही प्राप्त है। इस संबंध में सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि *"किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी।"* अतः उक्त दोनों पत्रावलियां पत्र के संलग्न आपके न्यायालय में स्थानान्तरित की जा रही है। कृपया प्राप्ति रसीद से अवगत करवाने का श्रम करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार 2 मूल पत्रावली

(रामपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner